न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) ए के तहत

अनुमति वाद संख्या –आर० एम० 120/2022–23

मधुवाला मुण्डा..विक्रेता

बनाम

जगत मुण्डा.. ....क्रेता

आदेश कीं तारीख	आदेश	
1	2	3
22.02.2023	विक्रेता का नाम एवं पता– मधुवाला मुण्डा पिता/पति–घनश्याम सिंह मुण्डा निवास, ग्राम–ताऊ एन. एच 33 बुण्डू विष्णु मंदिर गली, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–अनुसूचित जनजाति वर्ग, पेशा–खेती, गृहस्थी ।	

क्रेता का नाम एवं पताः–जगत मुण्डा पिता–स्व० दुखना मुण्डा ग्राम–ताऊ पो०–बुण्डू थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–अनुसूचित जनजाति वर्ग, पेशा–सेवानिवृति शिक्षक।

विद्वान अधिवक्ता का नामः– श्री गोवर्धन महतो।

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22/11/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) ए के तहत क्रेता जगत मुण्डा पिता–स्व० दुखना मुण्डा ग्राम–ताऊ पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–अनुसूचित जनजाति वर्ग, पेशा–सेवानिवृति शिक्षक के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–ताऊ, थाना–बुण्डू, थाना सं०–27, जिला–राँची

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
118	805	10 डी०	उ०–भोला मुण्डा वगैरह द०– सहायक रास्ता पू०–मेघनाथ मुण्डा प०– दिलेबर मुण्डा

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी बुण्डू का पत्रांक–48 (II) दिनांक 28/01/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत तैआरी मुण्डा वगैरह के नाम से दर्ज है।
2. आवेदक पंजी–II रैयत स्वंय है।
3. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम मधुवाला मुण्डा दर्ज है ।
4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2010–2011 तक वसूली की गई है।
5. खरीदगी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाड़ किस्म है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
8. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका का पूर्ण अंश है।
9. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–5.25 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।

22.02.2023

10. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक घरेलू कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
11. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
12. क्रेता एवं विक्रेता दोनों मुण्डा जाति के सदस्य है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आता है ।
13. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है।
14. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
15. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
16. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
17. प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) ए के तहत विक्रेता मधुवाला मुण्डा पिता/पति–घनश्याम सिंह मुण्डा निवास, ग्राम–ताऊ एन. एच 33 बुण्डू विष्णु मंदिर गली, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–अनुसूचित जनजाति वर्ग, पेशा–खेती, गृहस्थी ने क्रेता/विपक्षी जगत मुण्डा पिता–स्व० दुखना मुण्डा ग्राम–ताऊ पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–अनुसूचित जनजाति वर्ग, पेशा–सेवानिवृति शिक्षक के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 22/11/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता मधुवाला मुण्डा पिता/पति–घनश्याम सिंह मुण्डा निवास, ग्राम–ताऊ एन. एच 33 बुण्डू विष्णु मंदिर गली, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–अनुसूचित जनजाति वर्ग, पेशा–खेती, गृहस्थी को क्रेता/विपक्षी जगत मुण्डा पिता–स्व० दुखना मुण्डा ग्राम–ताऊ पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–अनुसूचित जनजाति वर्ग, पेशा–सेवानिवृति शिक्षक के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (I) ए के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक <u>बुण्डू/जिला</u> अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

<u>बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी</u>

मौजा–ताऊ, थाना–बुण्डू, थाना सं०–27, जिला–राँची

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
118	805	10 डी०	उ०–भोला मुण्डा वगैरह द०– सहायक रास्ता पू०–मेघनाथ मुण्डा प०– दिलेबर मुण्डा

लेखापित एवं सशोधित

22/02

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू, (राँची)।

22/02

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू(राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.15 16:16:51 +05:30
Location: 10.93.79.19